

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
संकल्प

सं०-15/आरोप (भागलपुर) 02-87/2023- (15)/रा०; पटना-15, दिनांक-.....

श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक-31.12.2022) के विरुद्ध समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक-47, दिनांक-22.06.2023 द्वारा एक ही परिवार के पति-पत्नी व पुत्र को सूखाड़ ग्रस्त राशि का निजी स्वार्थ के पूर्ति हेतु 16 ऐसे परिवारों को लाभ देकर सरकारी राशि का दुरुपयोग करने, लोक शिकायत के अनन्य संख्या-9999901091122342882 में गुमराह करने हेतु गलत प्रतिवेदन देने इत्यादि जैसे आरोपों के लिए आरोप पत्र गठित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया।

2. प्रतिवेदित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1590(15), दिनांक-22.08.2023 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी जिसके आलोक में श्री भूषण द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों एवं आरोपी से प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (B) के प्रावधानों के तहत प्रतिवेदित आरोपों की विस्तृत जाँच किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री भूषण के विरुद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों की सम्यक जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं०-1067(15) दिनांक-18.06.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(B) के प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

5. इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी तथा जाँच/संचालन पदाधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर को उपस्थापन/प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. संचालन पदाधिकारी-सह-अपर समाहर्ता, भागलपुर के पत्रांक-119/वि०जाँ दिनांक-24.11.2025 द्वारा श्री भूषण के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का सुस्पष्ट जाँच प्रतिवेदन/अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया, जिसमें एक मात्र आरोप को अंशतः प्रमाणित अंकित किया गया।

7. आरोपी पदाधिकारी से अंशतः प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में विभागीय पत्रांक-603(15) दिनांक-27.04.2026 से अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी, जिसके आलोक में श्री भूषण द्वारा दिनांक-30.06.2026 से अपना अभ्यावेदन/निवेदन विभाग को समर्पित किया गया।

8. आरोप पत्र में गठित आरोपों, संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच, प्रतिवेदन एवं प्रमाणित आरोप के संदर्भ में श्री भूषण से प्राप्त अभ्यावेदन/निवेदन के अवलोकनोपरान्त/समीक्षोपरान्त फलस्वरूप अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा उक्त आरोप प्रकरण में आरोपी पदाधिकारी को "आरोप से मुक्त" करने का निर्णय लिया गया।

9. अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री नवीन भूषण, तत्कालीन अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त को उक्त आरोप प्रकरण में "आरोप मुक्त" करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई समाप्त की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

निबंधित/
ई-मेल

ज्ञापांक-15/आरोप (भागलपुर) 02-87/2023-.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....
प्रतिलिपि:- समाहर्ता, भागलपुर को उनके पत्रांक-47, दिनांक-22.06.2023 के प्रसंग में/अंचल अधिकारी, गोराडीह, भागलपुर/श्री नवीन भूषण, सेवानिवृत्त अंचल अधिकारी (पता-ज्ञानेन्द्र मुखर्जी रोड, भीखनपुर गुमटी नम्बर-01, जिला- भागलपुर-812001) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-15/आरोप (भागलपुर) 02-87/2023-.....1528.....(15)/रा0, पटना-15, दिनांक-.....18/9/26
प्रतिलिपि :-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/
प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-3/आई0टी0/मैनेजर (विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ), राजस्व एवं
भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव।